



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 10.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 211/2022 धारा
147,352,323,504,506 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.08.2022 को थाना दोघट पर वादी तेहसीम पुत्र इकबाल निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1- सलीम पुत्र यामीन 2- इसरार पुत्र यामीन 3- भूरा पुत्र यामीन 4- अब्दुल्ला पुत्र हनीफ 5-सुहेल पुत्र सलीम 6- प्रवीण पत्नी भूरा



निवासीगण ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा वादी व वादी की पत्नी मोहसिना के साथ एक राय होकर लाठी-डंडो के साथ हमलावर होकर मारपीट करना व गाली-गलौज कर व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 211/2022 धारा 147,352,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 211/2022 धारा 147,352,323,504,506 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-भूरा पुत्र हाजी यामीन निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-अब्दुल्ला पुत्र हनीफ निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि० श्री दलवीर सिंह

2- उपनि० श्री महेश चन्द शर्मा

3-है०का० 334 मुनीदेव



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 10.09.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-ओमप्रकाश पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना खेकड़ा ।
2. का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकड़ा ।